प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रौता–मालकोटी–सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– सेरा मालकोटी
तहसील– पोखरी
जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रौता–मालकोटी–सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है0 वन पंचायत एवं मक डिस्पोजल हेतु — है0, कुल 1.89 है0 भूमि का **लोक निर्माण विभाग** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **सेरा मालकोटी** द्वारा दिनांक 11-10-2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **सेरा मालकोटी** के ग्रामवासियों को उक्त 1.89 है0 भूमि का **लोक निर्माण विभाग** को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत सेरा मालकोटी
वि0 ख0 पोखरी, चमोली

Scanned with CamScanner

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रौता–मालकोटी–सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पोखरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पोखरी

उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत **रौता–मालकोटी–सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है० (1.89 है० वन पंचायत भूमि)** का **लोक निर्माण विभाग**, पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पोखरी) की दिनांक 29-11-18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री** देवानंद शर्मा , उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री देवानंद शर्मा —— उपजिलाधिकारी —— अध्यक्ष
2– श्री —— उप प्रभागीय वनाधिकारी —— सदस्य
3– श्री कु० पिंकी भैशलवान —— सहायक समाज कल्याण अधिकारी —— सदस्य/सचिव
4– श्री सरोजनी देवी —— बी०डी०सी० क्षेत्र —— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **रौता–मालकोटी–सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है० वन पंचायत भूमि** का **लो०नि०वि० पोखरी** (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उपप्रभागीय वनाधिकारी, ... द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक मे सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत **रौता–मालकोटी–सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.89 है० वन पंचायत भूमि** का **लो०नि०वि० पोखरी** (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
पोखरी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पोखरी
जनपद– चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
पोखरी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पोखरी
जनपद– चमोली

6/11/19
जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

Scanned with CamScanner

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No......... **Dated..05/12/2019**

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.89 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Pokhari for Construction of New Motor Road in Chamoli district falls within jurisdiction of Sera Malkoti village in Pokhari tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिला अधिकारी
चमोली

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

Scanned with CamScanner

ANNEXURE........

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional forest dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mrs. Swati S. Bhadoriya (I.A.S.) District Magistrate Chamoli on date 05/12/19.. at time 03:30 Pm at Chamoli in which application claiming rights in total area measuring...1.89.... hect. for the construction of Rauta-Malkoti-Sera Motor Road (5.00 Km.) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Pokhari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:..Gopeshwar
Dated:..05/12/2019

जिला अधिकारी
चमोली
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

26/11/19
जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली